शेख मस्तान वली

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

अगस्त 3, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पांटा, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860 - धारा 302-आरोपी के पीडब्ल्यू 1 की बेटी के साथ अवैध संबंध थे-उसने उसे पीटा और रात में पीडब्ल्यू 3 के घर से बाहर खींच लिया- अगली सुबह पीडब्ल्यू 1 और 2 ने उसे एक खाट पर मृत पाया- पुलिस को मृतका की कमर में बंधा हुआ एक तौलिया और खाट के पास पड़ी एक रस्सी मिली- ऑटोप्सी सर्जन ने कहा कि मौत का कारण लिगचर के साथ गला घोंटने के कारण दम घुटना था- परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि-तथ्यों पर चुनौती, अभिनिर्धारित किया गयाः अभियोजन ने अपने आरोपों को स्थापित किया है- नीचे की अदालतों ने सही तरीके से अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषी ठहराने की परिस्थितियो पर भरोसा किया है।

साक्ष्य-परिस्थितिजन्य साक्ष्य-विवेचना-विधि को स्पष्ट किया गया।

अपीलार्थी का पीडब्ल्यू 1 की बेटी के साथ अवैध सम्बन्ध थे एवं अक्सर उसके घर आता जाता था। अभियोजक के अनुसार, जब पीडब्ल्यू 1 की बेटी पीडब्ल्यू 3 के घर में टी.वी. देख रही थी, अपीलार्थी वहाँ आया और उसे पीटने लगा और फिर उसे बाहर खींच लिया। अगली सुबह पीडब्ल्यू 1 व 2 ने उसे एक खाट पर मृत पड़ा पाया। पीडब्ल्यू 2 मृतक का भाई है। पुलिस को अपीलार्थी का एक तौलिया मिला, जो मृतका की कमर में बंधा हुआ था और एक रस्सी, जो खाट के पास पड़ी थी। ऑटोप्सी सर्जन ने राय दी कि मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था। पीडब्ल्यू 1 और 2 की साक्ष्य और मामले की विभिन्न परिस्थितियों पर भरोसा करते हुए, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 302 आईपीसी में दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, इसलिए वर्तमान अपील।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया

1.1. जहाँ कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, वहाँ अपराध का अनुमान केवल तभी न्यायोचित होगा जब सभी दोषपूर्ण तथ्य हों और परिस्थितियाँ अभियुक्त की निर्दोषता या

किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साथ असंगत पाई जाती हैं, जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के अपराध के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होगा। उचित संदेह और उन परिस्थितियों से अनुमानित किए जाने वाले प्रमुख तथ्य के साथ निकटता से जुड़े होने के लिए दिखाया जाना चाहिए।

[पैरा 5] [783-ए, बी, सी]

1.2. वे पूर्ववर्ती शर्तें, जिन पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर की गई दोषसिद्धि पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए। वे इस प्रकार हैंः (1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ आवश्यक रूप से या होनी चाहिए या नहीं भी स्थापित होनी चाहिये। (2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है; (3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए; (4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए; और (5) सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए, जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार

न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

[पैरा 12] [785-डी, ई, एफ, जी]

1.3. जब अभिलेख पर साक्ष्य का पृष्ठभूमि में ऊपर बताए गए सिद्धांतों के अनुसार विश्लेषण किया जाता है, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों को स्थापित कर लिया है। [पैरा 14] [786-ए]

हुकुम सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. [1977] एस. सी. 1063; *एराडू बनाम हैदराबाद राज्य*, ए.आई.आर. (1956) एस.सी. 316; *एराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य*, ए.आई.आर. (1983) एससी 46; *यू.पी. राज्य बनाम सुखबासी*, ए.आई.आर. (1985) एससी 1224; *बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य* ए.आई.आर. (1987) एससी 350; *अशोक कुमार चटर्जी बनाम एम.पी. राज्य*, ए.आई.आर. (1989) एस.सी. 1890; *सी. चेंगा रेड्डी बनाम ए.पी. राज्य*, [1996] 10 एस.सी.सी 193; *पदाला वीरा रेड्डी बनाम ए.पी. राज्य*, ए.आई.आर. (1990) एस.सी. 79; *यू.पी. राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव*, (1992) सीआरएल एल.जे.आई. 104; *हनुमंत गोविंद नरगुंडकर*

बनाम एम.पी. राज्य, ए.आई.आर. (1952) एस.सी. 343; *शरद बिरधीचन्द सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य*, ए.आई.आर. (1984) एससी 1622 और *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश*, [2005] 3 एस. सी. सी. 114, पर भरोसा किया।

अल्फ्रेड विल्स द्वारा संदर्भित परिस्थितिजन्य साक्ष्य (अध्याय VI)

2. इस मामले में मृतका की आरोपी- अपीलार्थी के साथ घनिष्ठता रही है एवं अपीलार्थी के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी और आरोपी अक्सर मृतका के घर जाता था और वहाँ पति-पत्नी के रूप में रहता था। घटना के पिछले दिन रात के समय जब मृतका पीडब्ल्यू 3 के घर में टी.वी. देख रही थी, तो आरोपी पीडब्ल्यू 3 के घर आया और मृतका को पीटना शुरू कर दिया और उसे झोपड़ी में घसीट लिया। अगले दिन सुबह पीडब्ल्यू 1 व 2 ने उसे मृत पाया। पुलिस को आरोपी का एक तौलिया मिला, जो मृतका की कमर के चारो और बंधा हुआ था और रस्सी खाट के पास पड़ी थी। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों पर सही भरोसा किया है। [पैरा 15] [786-बी, सी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1003/ 2007

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के आपराधिक अपील संख्या 580 ऑफ 2003 के निर्णय और आदेश दिनांक 7.11.2005 से

अपीलार्थी के लिए चंदर शेखर अशरी।

प्रतिवादी के लिए डी. भारती रेडडी।

न्यायालय का निर्णय डॉ अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई.पी.सी.') की धारा 302 के तहत उसकी दोषसिद्धि या दंडनीय अपराध और आजीवन कारावास और 30,000/- के जुर्माना व्यतिक्रम की सजा के साथ पर प्रश्न उठाया गया है।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः

आदिवम्मा (पीडब्ल्यू-1) माँ हैं और मंडपते रुल्लैया (पीडब्ल्यू-2) नागंडला पिचम्मा (इसके बाद 'मृतका' के रूप में संदर्भित) का भाई हैं। मृतका का भाई, मृतका, आरोपी और अन्य तात्विक गवाह मार्तूर में रहते

थे। मृतका जाति से बाइनीदी मडिगा की थी, जबकि आरोपी मुस्लिम समुदाय से थे। मृतक एक परित्यक्त महिला थी और उसने आरोपी के साथ अवैध अंतरंगता विकसित की और एक लड़की को जन्म दिया। वह अपने माता-पिता के घर के बगल में एक छप्पर वाले घर में रहती थी। मृतक के जीवनकाल के दौरान, आरोपी उसकी निष्ठा पर संदेह करते हुए उसे परेशान करता था और पीटता था। 31.10.1998 पर लगभग 9 पीएम पर, जब मृतका वेंकटा (पीडब्ल्यू 3) के घर में टी.वी. कार्यक्रम देख रही थी, तो आरोपी वहां आया और उसे देखकर आरोपी पागल हो गया और मृतका को हाथों से पीटकर अपने घर ले आया। अगले दिन सुबह पीडब्ल्यू 1 मृतका के घर गया और पाया कि मृतका मर चुकी है और वह खाट पर लेटी हुई है। पीडब्ल्यू 1 को उसके गले और मृतका की गर्दन के आसपास लिगेचर के निशान मिले। पीडब्ल्यू 1 का शोर सुनकर, पड़ोसी अपराध के घटनास्थल पर जमा हो गए। इसके बाद मृतक के पिता स्वर्गीय एम. पोलैया पुलिस स्टेशन गए और एस.आई को लगभग 3:30 पीएम पर मौखिक रिपोर्ट दी, जो प्रदर्शपी 5 के रूप में लिखी गई थी। प्रदर्शपी 5 के आधार पर पीडब्लू 6 ने सी.आर.नंबर 102 ऑफ 1998 में आई.पी.सी.की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया और एफ.आई.आर. प्रदर्शपी 6 जारी की। उसके बाद, पीडब्ल्यू 6 ने घटनास्थल का दौरा किया, अवलोकन रिपोर्ट प्रदर्शपी 2 तैयार किया और पीडब्ल्यू 4 व अन्यो की उपस्थिति में एमओ.1

से एमओ.3 को जब्त किया। फिर पीडब्ल्यू 6 ने पीडब्ल्यू 1 से 3, 5 और अन्य की जांच की और उनके बयान दर्ज किये। पुलिस के पीडब्ल्यू 8 सी.आई. ने 02.11.1998 को सुबह लगभग 8 बजे पीडब्ल्यू 4 और अन्यो की उपस्थिति में मृतका के मृत शरीर की जांच करवायी। प्रदर्शपी 3 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है। 02.11.1998 को ही सरकारी अस्पताल, अडांकी के सिविल सहायक सर्जन (पीडब्ल्यू 7) ने मृतका के शव का शव परीक्षण किया और राय दी कि मृत्यु का कारण लिगचर के साथ गला घोंटने के कारण दम घुटना था। प्रदर्शपी 8 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट है। 11.11.1998 पर, अभियुक्त ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अनुसंधान पूरा होने के बाद, पीडब्लू 8 ने आरोप पत्र दाखिल किया।

विद्वान अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग अडांकी द्वारा उपार्पित आदेश की प्राप्ति पर विद्वान विशेष सत्र न्यायाधीश एससी और एसटी (पी.ए.) अधिनियम, 1989, ओंगोल ने मामले को एससी नंबर 71/99 पर पत्रावली पर लिया और अंततः आरोपी को विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचारण के लिए रखा गया, जिस पर धारा 302 आई.पी.सी. के तहत या वैकल्पिक रूप से धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में एससीएसटी अधिनियम) में आरोपित किया गया।

अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए पीडब्ल्यू 1 से पीडब्ल्यू 8 को परिक्षित करवाया गया और प्रदर्श 1 से पी 8 और एम.ओ.1 से 8 तक चिन्हित कराये गये। बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया।

पीडब्ल्यू 1 व 2 अर्थात् क्रमशः माँ और मृतका के भाई की साक्ष्य पर भरोसा किया गया, निचली अदालत ने उसकी दोषसिद्धि दर्ज की। चूंकि यह एक ऐसा मामला था, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, इसलिए निचली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए कई परिस्थितियों पर ध्यान दिया। हालाँकि उसे धारा 3 के तहत अपराध का दोषी नहीं पाया गया था एवं एस.सी. एस.टी. अधिनियम की धारा 3(2)(5) के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से बरी किया गया था। अपील में उच्च न्यायालय ने निष्कर्षों की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि गवाहों ने रात को मृतका को अभियुक्त द्वारा झोपडी में घसीटते हुए देखा है। अगले दिन सुबह मृतका को मृत पाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह अभियुक्त द्वारा उसकी अनुपस्थिति के बारे में इसके बाद किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में अपराध को मजबूत करने के लिए पर्याप्त है। इस स्थिति को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया था।

4. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान वकील ने बताया कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला होने के कारण, अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों को स्थापित नहीं किया है। प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील-राज्य ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।

5. इस न्यायालय द्वारा लगातार यह निर्धारित किया गया है कि जहां कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, अपराध का निष्कर्ष केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है, जब सभी दोषपूर्ण तथ्य और परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषता या किसी अन्य व्यक्ति के अपराध बोध के साथ असंगत हो। (देखे *हुक्म सिंह बनाम राजस्थान राज्य*, ए.आई.आर. (1977) एस.सी. 1063, *एराडू बनाम हैदराबाद राज्य*, ए.आई.आर. (1956) एस.सी. 316, *एरभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य*, ए.आई.आर. (1983) एससी 446, *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुखबासी*, ए.आई.आर. (1985) एससी 1224, *बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य*, ए.आई.आर. (1987) एससी 350 और *अशोक कुमार चटर्जी बनाम एम.पी. राज्य*, ए.आई.आर.(1989) एस.सी. 1890.जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के अपराध के बारे में एक निष्कर्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होगा और उन परिस्थितियों से अनुमानित किए जाने वाले प्रमुख तथ्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए। *भगत*

राम बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. (1954) एस.सी. 621 में यह निर्धारित किया गया था कि जहां मामला परिस्थितियों से लिए गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है, वहां परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए, जिससे अभियुक्त की निर्दोषिता नकारात्मक हो और अपराधों को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे लाया जा सके।

6. हम इस न्यायालय के निर्णय *सी.चेंगा रेड्डी बनाम ए.पी. राज्य* [1996] 10 एस.सी.सी. 193 के मामले का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें यह पाया गया कि

> "21. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर स्थापित विधि यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा, सिद्ध परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी निर्दोषता के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए।

7. *पदाला वीरा रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य*, ए.आई.आर. (1990) एस.सी. 79 में यह निर्धारित किया गया था कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसा साक्ष्य निम्नलिखित परीक्षणों को संतुष्ट करना चाहिएः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है, उन्हे ठोस एवं दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;

(2) वे परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(3) परिस्थितियां, जिन्हे संचयी रूप से लिया गया है, उनसे एक श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिये कि इस निष्कर्ष से सभी मानवीय संभावना के साथ नही बचा जा सके कि अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था एवं किसी अन्य द्वारा नहीं, और

(4) दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य आवश्यक रूप से पूर्ण होना चाहिए और यह इसके अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में सिवाय अभियुक्त के अपराध और इस तरह के साक्ष्य का न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिये बल्कि उसकी निर्दोषता से असंगत होना चाहिए।"

8. *यू.पी.राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव*, (1992) सीआरएल एलजे 1104 में यह इंगित किया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए और यदि जिस साक्ष्य पर भरोसा किया गया है, वह दो निष्कर्षों के लिए सक्षम है, तो अभियुक्त के पक्ष में एक को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित पाया जाना चाहिए और इस तरह से स्थापित सभी तथ्यों का संचयी प्रभाव केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए।

9. सर अल्फ्रेड विल्स ने अपनी सराहनीय पुस्तक 'विल्स सर्कमस्टैंटिअल एविडेंस' (अध्याय VI) में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में ध्यान देने योग्य प्रमुख रूप से विभिन्न नियमो को बताया है (1) किसी भी कानूनी निष्कर्ष के आधार के रूप में कथित तथ्यों को स्पष्ट रूप से साबित किया जाना चाहिए और फेक्टम प्रोबेन्डम के साथ युक्तियुक्त संदेह से परे जोड़ा जाना चाहिए; (2) सबूत का भार हमेशा उस पक्ष पर होता है, जो किसी भी तथ्य के अस्तित्व का दावा करता है, जो कानूनी जवाबदेही का अनुमान लगाता है; (3) सभी मामलों में, चाहे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य सबूत का हो, सबसे अच्छा सबूत पेश किया जाना चाहिए, जिसे मामले की प्रकृति स्वीकार करती है; (4) अपराध के निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए, दोषपूर्ण तथ्य अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत

और उसके अपराध के अलावा किसी अन्य उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होने चाहिए,; और (5) यदि अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई उचित संदेह है, तो वह बरी होने के अधिकार का हकदार है।

10. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल एकमात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून की कसौटी से किया जाना चाहिए, जो इस न्यायालय द्वारा 1952 में किया गया है।

11. *हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम एम.पी. राज्य*, ए.आई.आर. (1952) एससी 343 यह पाया गया कि

> "यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पहली बार में पूरी तरह से स्थापित होने चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर

परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती हो और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।''

12. *शरद बिरधीचन्द सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य* ए.आई.आर(1984) एससी 1622 में बाद के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से निपटने के दौरान, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था कि श्रृंखला पूरी हो गई है और अभियोजन पक्ष में कमी की दुर्बलता को झूंठे बचाव या आधार से ठीक नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय के शब्दों में पूर्ववर्ती शर्तें, दोषसिद्धि से पहले परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, पूरी तरह से स्थापित की जानी चाहिए, जो इस प्रकार हैंः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियों को आवश्यक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए या किया जाना चाहिए और नहीं किया जा सकता है;

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है;

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए; और

(5) सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूरी हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए को कोई युक्तियुक्त आधार न छोड़े और सभी मानवीय संभावनाओं में यह दिखाना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा ही कृत्य किया गया होगा।

13. उपरोक्त स्थिति को *यू.पी. राज्य बनाम सतीश* [2005] 3 एससीसी 114 में प्रकाश डाला गया था।

14. जब अभिलेख पर साक्ष्य का ऊपर बताए गए सिद्धांतों के अनुसार पृष्ठभूमि में विश्लेषण किया जाता है, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों को स्थापित कर लिया है।

15. हस्तगत मामले में मृतका की आरोपी के साथ घनिष्ठता है और वह एक झोपड़ी में रहती थी और आरोपी अक्सर मृतका के घर जाता था और वहां पति-पत्नी के रूप में रहता था। घटना के पिछले दिन रात के समय जब मृतका पीडब्ल्यू 3 के घर में टी.वी. देख रही थी, तो आरोपी पीडब्ल्यू 3 के घर आया और मृतका को पीटना शुरू कर दिया और उसे झोपड़ी में घसीट लिया। अगले दिन सुबह पीडब्ल्यू 1 व 2 ने उसे मृत पाया। पुलिस को आरोपी का एक तौलिया मिला, जो मृतका की कमर में बंधा हुआ था और रस्सी खाट के पास पड़ी थी। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों पर सही भरोसा किया है। हम अपील में कोई सार नहीं पाते हैं।

16. अपील विफल होने से खारिज की जाती है।

बी.बी.बी अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अरुण प्रकाश आर्य (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।